

फर्द अहकाम

खेमचन्द बनाम अशोक कुमार

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 24/2023


क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	29/01/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. सहव के अन्व कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक... 15/03/24... को पेश है।	
	21/04/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. सहव के अन्व कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक... 21/04/24... को पेश है।	
	22/4/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उप. मूल वादपत्र में प्रतिकारी संख्या 12 लगा. 14 की तामिल सम्बन्ध मानी जाकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। अतः इस प्रा० पत्र में प्रार्थी संख्या 1 लगा. 14 के विक्रम एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस की। प्रार्थी अधिवक्ता की प्रा० पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जाहिर अभिवचनों पर मनन करने के उपरान्त उभयपक्षों को जादिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उभयपक्ष विवादित ख० न. 255 रकबा 1.3783 हेक्टर, ख० न. 247 रकबा 3.9452 हेक्टर, ख० न. 254 रकबा 0.9863 हेक्टर. स्थित ग्राम श्यामपुरा तह बस्सी जिला जयपुर के संबंध में ताप्रेसला वाद के	

फर्द अहकाम

खेमचन्द बनाम अशोक कुमार

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 24/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>मौके क एव रिपोर्ट की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली नम्बर फैसल कुमार टोकर नम्बर से कम ही।</p> <p> सहायक कलक्टर बस्सी जिला-जयपुर</p>